V एकीकृत जाँच फार्म-V
कि बारची

Cos

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–01, श्रीगंगानगर
राजस्थान राज्य बनाम अमनदीप सिंह
नियमित दांडिक प्रकरण संख्याः Cis no 7744/26

दिनांक 20.08.2026

सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित।

थानाधिकारी, पुलिस थाना, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त अमनदीप सिंह पुत्र बलवंत सिंह उम्र 32 साल के विरूद्ध धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत आरोप पत्र पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट करवाई गई। प्रकरण नियमित फौजदारी के रूप में पंजीबद्ध हो। अभियुक्त अमनदीप सिंह के विरूद्ध धारा 13 आरपीजीओ में प्रसंज्ञान लिया जाता है।

अभियुक्त पुलिस जमानत पर न्यायालय में उपस्थित, जिसे धारा 13 आरपीजीओ का आरोप मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो उसने सुन व समझकर स्वेच्छया आरोप स्वीकार किए तथा लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली रहे।

Aman
S. F.
20/4
Uv
K. पु.अ.

स्वेच्छिक जुर्म स्वीकृति के आधार पर अभियुक्ता अमनदीप सिंह को आरोपित अपराध धारा 13 आरपीजीओ में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

सजा के बिन्दू पर सुना गया। चूंकि अभियुक्त ने लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया है तथा उसके विरूद्ध धारा 13 आरपीजीओ के अपराध का आरोप प्रमाणित है, अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में 01 मुकदमा धारा 13 आरपीजीओ में दर्ज है, अतः अभियुक्त अमनदीप सिंह को आरोपित अपराध में 100/–रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त पांच दिन का साधारण कारावास भुगतेगा।

प्रकरण में जब्तशुदा माल वजह सबूत, मुताबिक फर्द जब्ती बाद गुजरने मियाद अपील, अपील नहीं होने की अवस्था में नियमानुसार नष्ट करने एवं बरामदशुदा सट्टा रकम नियमानुसार राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिए जाते हैं।

आदेशानुसार अभियुक्त की ओर से अर्थदण्ड की राशि 100/–रूपए रसीद संख्या जीआरएन नंबर 012882807२ दिनांक 20.08.2026 द्वारा जमा राजकोष करवाने बाबत ई–चालान की प्रति पेश की। रसीद को डिफेस किया गया। उक्त राशि राजकोष में जमा हो चुकी है।

अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं है, पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

Priyanka 20/8/26
(प्रियंका सोनी)
अतिरिक्त मजिस्ट्रेट संख्या 1
न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1,
श्रीगंगानगर